नियुक्ति के शर्ते निम्नानुसार रहेगीः–

1. इस संविदा नियुक्ति पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों एवं रोस्टर का पालन किया गया है।
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश/संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को मूलवेतन के साथ मंहगाई भत्ता जोड़कर संविदा पारिश्रमिक देय होगा। सेवानिवृत्त अधिकारी (अधिकतम आयु 65 वर्ष तक) को संविदा पर नियुक्ति की दशा में संविदा वेतन के रुप में उसे प्राप्त अंतिम वेतन के बराबर देय राशि में से प्राप्त हो रही पेंशन की राशि को कम कर भुगतान की जावेगी।
4. संविदा के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नियुक्त व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम – 1965 और उसमें किए गए अद्यतन संशोधनों द्वारा शासित होगा।
6. संविदा की कालावधि नियुक्ति तिथि से एक वर्ष के लिए रहेगी।
7. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संबधी मूल अभिलेख एवं दो फोटो प्रस्तुत करना होगें।
8. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार नियुक्ति प्राधिकारी के साथ रुपये 50/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करेगा (करार के निष्पादन पर होने वाले समस्त व्यय चयनित उम्मीदवार द्वारा वहन किए जायेगों) इस नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ ही साथ चयनित उम्मीदवारों को उसकी 03 माह के वेतन की धनराशि के समतुल्य राशि का बाण्ड भी भरकर कार्य पर उपस्थित होने के 7 दिन के भीतर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस बाण्ड के आधार पर उम्मीदवार को शासन को यह गारंटी देनी होगी कि यदि वह संविदा नियुक्ति काल पूरा होने के पूर्व पद से त्यागपत्र देकर अन्य कोई पद ग्रहण करता है, तो वह उक्त बाण्ड में उल्लेखित धन राशि का देनदार होगा।
10. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगां। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष कि दशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जायेगी।
11. संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्य कुशलता एवं किए गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो आगामी वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।
12. संस्था नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।
13. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 10 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।
14. संविदा पर नियुक्त अधिकारी को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नही होने पर संविदा सेवायें समाप्त की जावेगी।

15. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाए जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।
16. संविदा नियुक्ति पर नियक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व संस्था द्वारा बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।
17. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को समय–समय पर सौपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी सम्पादित करने होगें।
18. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
19. संविदा पर नियुक्त अभ्यार्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुममि/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
20. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को केवल यात्रा भत्ते की सुविधा शासन के नियमनुसार देय होगी।
21. एक वर्ष सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं नियोजक/नियोक्ता के एक माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा/भुगतान कर समाप्त हो सकेंगीं।
22. चयनित उम्मीदवाार, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी तथा उसकी कंडिका 9 में दर्शाई गई बांण्ड राशि राजसात हो जावेगी।
23. संविदा पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार उसकी संविदा कालावधि के लिए किन्ही पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
24. उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि की पात्रता नहीं होगी।
25. किसी भी विवा की स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
26. संविदा पर नियुक्त अधिकारी /कर्मचारी भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

1. आयुक्त,
   संभाग ....
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला छिन्दवाड़ा
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत ....जिला छिन्दवाड़ा
   मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, मध्यप्रदेश